

वन संरक्षण अधिनियम के उल्लघन न होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :-

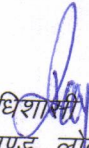
विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत देघाट-नागचूलाखाल से
चन्थरखाडी-कलियालिगुड-झीपा बैण्ड हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।
(2.500किमी.) (1.485है०)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के कि निर्माण हेतु वन संरक्षण
अधिनियम का कोई भी उल्लघन नहीं किया जायेगा।



अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



अधिशामी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत